न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 186/2017

बउनवान

प्रेमलता आयु 50 साल पत्नी श्री जोधराज जाति–गुर्जर निवासी–तुलसां तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री पिकेंश जगरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक– 10.12.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–तुलसां, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु.तलाई पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 500/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल [illegible] की सजा से दंडित किया गया है।

अपील [illegible] न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों [illegible] निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई [illegible] करने का कोई अवसर नहीं दिया है, बेदखलीनामा पत्रावली [illegible] आराजी की पैमाइश नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं। अधीनस्थ [illegible] आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील [illegible] न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.3.2014 निरस्त फरमाया [illegible]।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 150/2011 निर्णय दिनांक 17.04.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई है, जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 150/11 निर्णय दिनांक 17.04.2011 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील [illegible] से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा [illegible] 598/14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official